अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

वन अधिहरण अपील वाद सं० 11 आर० 15/2022–23

09
26.05.2023

कयुम मियाँ, पिता स्व० अजमुद्दीन मियाँ, निवासी सीलमा, पो०–बिरदा, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी .... अपीलकर्त्ता

बनाम

राज्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलकर्त्ता ने विद्वान प्राधिकृत पदाधिकारी – सह – वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा वन अधिहरण वाद संख्या 20/19 में दिनांक 07.12.2019 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान प्राधिकृत पदाधिकारी – सह – वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची वन प्रमंडल, रांची द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 52(3) के प्रावधानों के तहत जप्त टाटा 407 मिनी ट्रक सं0–JH01K-9465 एवं उस पर लदा साल बल्ली–350 पीस को अधिहरित (Confiscate) करने का आदेश पारित किया गया है।

विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्त्ता की ओर से इस वाद मे अग्रतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपलीकर्त्ता विगत कई तिथियों दिनांक 09.09.2022, 21.10.2022, 09.12.2022, 14.02.2023, 14.03.2023 को इस अपील वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। आज पुनः पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। सहायक सहायक अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्त्ता की अनुपस्थिति के आलोक मे कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है अतः प्रस्तुत अपील वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव मे समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति प्राधिकृत पदाधिकारी– सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:12:20 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9

उपायुक्त
रॉची